भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1823

सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक)

श्रम कल्याण योजना

1823. श्री देवेश शाक्य:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत तम्बाकू उद्योग में लगे कामगारों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सहायता दी गई है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार, विशेषकर उत्तर प्रदेश में कितने कामगार लाभान्वित हुए हैं;

(ग) उत्तर प्रदेश के एटा, कासगंज एवं फर्रुखाबाद जिलों में तम्बाकू उद्योग में कार्यरत कामगारों को उक्त योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक जिले में कितने लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत श्रम कल्याण योजना देश भर में 18 क्षेत्रों में स्थित श्रम कल्याण संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, जिसमें बीड़ी कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों का कल्याण भी शामिल है।

इस योजना के तीन घटक हैं, अर्थात् स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति और आवास तथा इनका विवरण निम्नानुसार है:-

जारी..2/-

(i) 10 अस्पतालों और 279 औषधालयों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ। कैंसर, टीबी, हृदय रोग, किडनी प्रत्यारोपण जैसे विशेष उपचारों के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति।

(ii) बीड़ी कामगारों के बच्चों की कक्षा-I से लेकर कॉलेज/ विश्वविद्यालय तक की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, कक्षा/ पाठ्यक्रम के आधार पर प्रति छात्र प्रति वर्ष 1000/- रुपये से 25,000/- रुपये तक होती है।

(iii) संशोधित एकीकृत आवास योजना (आरआईएचएस) 2016 के अंतर्गत पक्के मकानों के निर्माण के लिए 1,50,000/- रुपये (प्रति लाभार्थी) की सब्सिडी। आरआईएचएस को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ एकीकृत कर दिया गया है।

बीड़ी कामगारों की कुल संख्या 49.82 लाख है, जिनमें से 4.12 लाख उत्तर प्रदेश में हैं। श्रम कल्याण योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया व्यय निम्नानुसार है:

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये में)
2021-22	64.21
2022-23	80.79
2023-24	81.31

केंद्र सरकार असंगठित कामगारों सहित अन्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, जैसे (i) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई), (ii) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), (iii) प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), (iv) प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएमएसवाईएम), (v) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वन-नेशन-वन राशन-कार्ड योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, (vi) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, (vii) प्रधान मंत्री आवास योजना, (viii) महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, (ix) दीन दयाल अंत्योदय योजना, (x) अन्य के साथ-साथ पीएमस्वानिधि, (xi) प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना।

इसके अलावा, राज्य सरकारें भी श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाती हैं।

*****